संख्या-३३/2017/2326/बावन-1-2017-01(142)/09

प्रेषक,

डा०पिंकी जोवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 21 सितम्बर, 2017

विषय-मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-पीलीभीत के विकास खण्ड-पूरनपुर में स्वीकृत 50 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिये केन्द्रांश की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(16)/2012-पी0पी0, दिनांक 06.11.2012 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-794/52-1-2013-01(142)/09, दिनांक 26 फरवरी, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद-पीलीभीत में स्वीकृत 50 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित कर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० के निवर्तन पर रखते हुए केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू० 92.50 लाख अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(16)/2012-पी0पी0, दिनांक 28.02.2017 से 50 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 185.00 लाख की अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 92,50,000/- (रू0 बानबे लाख पचास हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 1924.81 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	वर्तमान में अवमुक्त द्वितीय किश्त		अवमुक्त कुल धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पीलीभीत	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	50	3.70	185.00	0.00	92.50	92.50	0.00	92.50
		योग	50	3.70	185.00	0.00	92.50	92.50	0.00	92.50

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो,प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाईड लाइन्स के अनुरूप कराया जायेगा।

3- आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ नामित है। अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अवमुक्त धनराशि से 06 माह में पूरा कर लिया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। इस संबंध में सम्पादित त्रिपक्षीय एम०ओ०यू० की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

4- धनराशि योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये गुणवत्तामूर्ण निर्माण किया जायेगा। निर्माण कार्य में किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर प्रश्नगत आंगनवाड़ी योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/बावन-1-2009-1(1)/2009, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा मात्रात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

8- आहरित धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।

9- अवमुक्त धनराशि को व्यय किये जाने के उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण-कार्यों के फोटोग्राफ्स की दो-दो

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतियां जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

10- मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के लिये अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा तथा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष यदि कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० के माध्यम से राजकोष मे जमा कराया जायेगा ।

11- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक स्थायी बोर्ड भी बनाया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृति की तिथि, वित्तीय-स्रोत, योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने की तिथि तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि अंकित होगी।

12- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी सस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी ।

13- आहरण एवं वितरण आधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।

14- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

15- जिलाधिकारी द्वारा उक्त निर्माण हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता व निर्माण कार्य उपयुक्त स्थान पर ही हो रहा है, के सम्बन्ध में आश्वस्त हो लिया जायेगा तथा प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष संतोषजनक व गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण होने के सम्बन्ध में पूर्णतः पुष्टि कर ली जायेगी ।

16- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

17- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक"4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय -02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत

http://ghasanadesh.up.nic.in

आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना (के0-60/रा0-40, के0+रा0)-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

18- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डा०पिंकी जोवल)
विशेष सचिव।

संख्या-2326(1)/बावन-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया 50 आंगनवाड़ी केन्द्रों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने तथा निर्माण के पश्चात स्टाफ आदि की व्यवस्था कर क्रियाशील कराने का कष्ट करें।
6- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले 50 आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के साथ ही समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8- निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले विकास खण्ड-पूरनपुर में 50 आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थलों की सूची प्राप्त कर गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 को 03 स्वच्छ प्रति सहित/वित्त-ई-11।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

Unic Code Anganwadi G.O

http://shasanadesh.up.nic.in